हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

22/8/22

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित । विप्रार्थी सरकारी पैरोकार उपस्थित। भू0अभिलेख निरीक्षक साजियाली पदमसिंह द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गयी जो शामिल मिसल हो। प्रार्थी के वकील के निवेदन पर बहस सुनी गयी ।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थी के खेत संख्या 272/144 नये खसरा संख्या (452/144) रकबा 1–10 बीघा में आवागमन हेतु विप्रार्थी के खेत संख्या 270/144 रकबा 287–06 बीघा गै.मु, खार में से 30 फिट चौडा रास्ता कायम करवाना चाहता है । जिसकी मालियत डी.एल.सी. रेट से दोगुणा देने हेतु सहमत है ।

विप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने बताया की प्रार्थी द्वारा अपने गैर मुमकीन आवासीय कॉलोनी में आवागमन हेतु सरकारी भूमि से रास्ता चाहा गया है ।

हमने उभय पक्षकारन की बहस सुनी । पत्रावली व पत्रावली में संलग्न दस्तोजात का आवलोकन व अध्ययन किया गया । बाद गौर प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2074–77 में भूमि किस्म गैर मुमकीन आवासीय है, प्रार्थी ने अपना प्रार्थना पत्र तथ्यों को छुपाते हुए प्रस्तुत किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियिम की धारा 251 आर. टी.ए के प्रावधान कृषि भूमि के लिए आवागमन हेतु रास्ता जो भी सबसे निकटतम दूरी का हो, उपलब्ध कराने के लिए है । जबकि वर्तमान प्रकरण में रास्ता कृषि भूमि मे आवागमन हेतु चाहा नही गया है। भूमि की किस्म गैर मुमकिन आवसीय है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरर्थक होने से खारिज किया जाता है ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 17:11:54 IST
Reason: SelfAttested